जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 09 / डी– 1224 दिनांकः– 18-8-09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 56वी बैठक दिनांकः 17.8.09 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		56:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 55वीं बैठक दिनांक 07.08.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 50वीं से 55वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	I. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 55वीं बैठक दिनांक 07.08.09 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। II. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **51वीं बैठक** दिनांक 27.2.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्देश दिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 51:4(1) 33के.वी. ग्रिड सब स्टेशन खासाकोठी को स्थानान्तरित करने के क्रम में खसरा नम्बर 9 एवं 26 जो राज्य सरकार के नाम दर्ज है उन्हें जविप्रा के नाम दर्ज करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण कि ओर से जिला कलैक्टर जयपुर को पत्र लिखा गया है। उपायुक्त ने बताया की जोन के तहसीलदार ने तहसीलदार जयपुर से व्यक्तिशः सम्पर्क कर नामान्तकरण खुलवाने के प्रयास किये है। आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जावे। III. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **52वीं बैठक** दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के क्रम में जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखन्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक 23.07.09 को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निदेशित किया गया कि वे प्राथमिकता से स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही करे। ii. अनुपालना से शेष बिन्दुओं पर क्रियान्विति आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित की जावे। IV. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **53वीं बैठक** दिनांक 18.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				i. प्रस्ताव संख्या 53:2 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ग्राम कानोता तहसील बस्सी के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर संस्थानिक करवाया जावे जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.2.09 के अनुसरण में धारा 25(3) व 25(2) की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया था कि इससे पूर्व मौके पर भूमि का पीटी सर्वे करवाया जावे और संस्थानिक आवंटनों के प्रयोजनार्थ इसकी प्लानिंग भी करवा ली जावे। संस्थानिक आवंटनों के लिए 60फीट रोड की कनेक्टीविटी को भी प्लान किया जावे। उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को भेजी गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जावे साथ ही निदेशक (आयोजना) भी अपेक्षित प्लानिंग कर अवगत करावे। ii. प्रस्ताव संख्या 53:3(2) पार्थ नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–256 व बी–485, सी–888 व सी–567 के बढे हुए क्षेत्रफल का आवंटन एवं दर तय करने बाबत उपायुक्त जोन–11 ने समिति को बताया कि 3 भूखण्डधारियों को मांग–पत्र जारी कर दिया गया है एवं भूखण्ड संख्या बी–485 का बढा हुआ क्षेत्रफल राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करवाया जावे। V. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **54वीं बैठक** दिनांक 23.7.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 54:5 के संबंध में प्रकरण के सभी पहलूओं पर विस्तृत परीक्षण करने हेतु निदेशक (विधि) को भेजा गया है। परीक्षण कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। VI. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **55वीं बैठक** दिनांक 07.08.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 55:3(1) वैशाली नगर योजना सी ब्लाक डिस्पेन्सरी के पास निर्मित दुकान संख्या 2 की छत का वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन के संबंध में गत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावित आवंटन से पूर्व मौके पर सीढियां निर्मित है या नहीं इस सबंध में जोनल अभियंता व जोन उपायुक्त विस्तृत रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में रखें। समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				कि जोन–1 व 7 के इस प्रकृति के सभी प्रकरणों को मौके पर सीढियों आदि के निर्माण की रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष एक साथ प्रस्तुत किया जावे। उपायुक्त जोन 7 ने बताया कि छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पत्रावली प्रक्रियाधीन है। उपायुक्त जोन 1 व 7 पालना रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। ii. प्रस्ताव संख्या 55:3(4) एयरपोर्ट बाउण्ड्री के पास 160 फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारियों का पुनर्वास करने हेतु प्रस्तावित पुनर्वास के संबंध में पूर्व में पुनर्वासित किये गये व्यक्तियों के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण कर पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश उपायुक्त जोन 4 को दिये गये थे किन्तु पालना अप्राप्त है।
2.	12	56:2	भूखण्ड संख्या ई–291, आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 120वर्गमीटर से बढकर 199. 12व.मी. हो जाने से भूखण्ड संख्या ई–37 व ई–314 में से एक भूखण्ड विनिमय करने के संबंध में। प्रार्थी श्री देवदत्त शर्मा।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या ई–37 व ई–314 में से एक भूखण्ड जरिये लॉटरी विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
3.	8	56:3	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पुनर्वास करने बाबत उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.–3 ( )नविवि/3/06 दिनांक 19.07.06 से 90 वर्गमीटर भूखण्ड आवंटन कर पूर्नवास करने हेतु प्राप्त हुआ। भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने की जांच हेतु 24 व्यक्तियों की सूची गृह विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई। गृह विभाग के पत्र क्रमांक प.–2(61)गृह 4/08 दिनांक 20.08.08 के द्वारा 19 पाक विस्थापितो को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की पुष्टि होने पर भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 48वीं बैठक 22.08.08 में 19 व्यक्तियों को आवासीय आरक्षित दर की 25प्रतिशत दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इनमे से 12 आवंटियो को लीजडीड जारी की जा चुकी है। शेष 7 को लीजडीड जारी की जाना शेष है। शहरी भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण नियम 1974 के नियम 17(4) की अनुसूची के अनुसार 46 से 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों की दर आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत लेने का प्रावधान है। गृह ग्रुप–4 विभाग के पत्र क्रमांक प.–2(61)गृह 4/08 दिनांक 03.02.09 द्वारा शेष 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रस्तावानुसार जोन–8 में शेष तीन भूखण्ड एल–11, एल–12, एल–13 तथा जोन–11 से प्राप्त सूचना के अनुसार योजना बक्शावाला में भूखण्ड संख्या 71, 73,

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर वि[illegible] प्राधिकरण, जयपुर

				74, 75, 76 में से दो भूखण्ड (प्रत्येक 90 व.मी.) जरिये लॉटरी आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत दर पर आवंटित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिन विस्थापितों को आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर आवंटन किया गया था व जिन्हे लीजडीड जारी नहीं की गई है उनसे भी आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत राशि वसूल की जावे व जिन आवंटियों को लीजडीड जारी कर दी गई है उनकी भी आवासीय आरक्षित दर की 60 प्रतिशत राशि की मांग कायमी की जाकर वसूली की जावे।
अतिरिक्त एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।				
4.	9	56:3(1)	200 फीट एयरपोर्ट रोड से प्रभावित महंत हंसेश्वरगिरी नागा बाबा के मंदिर हेतु भूमि आवंटन बाबत ग्राम बुद्धसिंहपुरा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3- जिला कलक्टर, जयपुर
4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9- निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12- उपायुक्त जोन–1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13- जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 56–वी बैठक दिनांक 17.8.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री भास्कर शर्मा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. दोराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
4.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) एवं (एलपीसी)	सदस्य
5.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
6.	श्रीमति सीमा सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
7.	श्रीमति शूचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
8.	श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
9.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
12	श्री हदेश शर्मा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित